

Prashyit uplaad
this on distr portnal
8/1/2020

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) नागौर

क्रमांक प.1(सी)()संस्था/लोआचु/2018/

103

दिनांक

3-1-20

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिनांक 26.12.2019 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारीगण सीधे ही राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं।

अतः पंचायत आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना अवकाश या मुख्यालय से प्रस्थान नहीं किया जायेगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने/मुख्यालय छोड़ने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण पालना की जायेगी।

1. समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा राजकीय अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा निर्वाचन ड्यूटी के अलावा अन्य किसी राजकीय कार्यवश मुख्यालय छोड़ने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. जिला स्तरीय अधिकारियों के अधीन पदस्थापित कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने अथवा राजकीय अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व इस कार्यालय की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
4. ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अधीन पदस्थापित कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने अथवा राजकीय अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त निर्देशों की अवहेलना की जाने अथवा बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत निलम्बन/ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(दिनेश कुमार यादव)

जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) नागौर

दिनांक 3-1-20

क्रमांक सम/

104-224

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर/डीडवाना
3. उपखण्ड अधिकारी, _____समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना की जाने हेतु समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।
4. जिला स्तरीय अधिकारी _____(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना हेतु अपने अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।
5. ब्लॉक स्तरीय अधिकारी _____(समस्त)
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नागौर को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश को www.nagaur.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर पालना से अवगत करावे।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर को प्रसार-प्रचार हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी (चुनाव), कार्यालय हाजा
9. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर नागौर
10. निजी सहायक, अति.जिला कलक्टर, नागौर
11. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा
12. संरक्षित पत्रावली

जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) नागौर